5.3.6 विद्युत उत्पादन संसाधनों का पता लगाने के उपयुक्त विकल्प ढूंढने और विद्युत उत्पादन के इष्टतम समुपयोजन हेतु विद्युत में व्यापार को प्रोत्साहित करने तथा परिणामस्वरूप आपूर्ति लागत कम करने के लिए पारेषण में खुली पहुंच का आवश्यक विनियामक कार्यढांचा तैयार किया जाना अनिवार्य है जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 में शासनादेश है ।

5.3.7 अधिनियम की धारा 27 में प्रावधान है कि केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र (आरएलडीसी) का प्रचालन तब तक करेंगे जब तक कि केंद्रीय सरकार इस प्रयोजनार्थ किसी सरकारी कंपनी या प्राधिकरण या निगम को अधिसूचित करती है । आरएलडीसी का प्रचालन करने वाली सीटीयू की प्रबंध व्यवस्था की समीक्षा केंद्रीय सरकार द्वारा विद्यमान प्रबंध व्यवस्था में उनके कार्यकरण के अनुभव के आधार पर की जाएगी । केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर, 2005 तक इस पहलू पर विचार किया जाएगा ।

5.3.8 धारा 2(55) के अनुसार क्षेत्रीय विद्युत समितियों का भारत सरकार द्वारा गठन 2 माह के भीतर विभिन्न स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए किया जाएगा ।

5.3.9 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 26 के अनुसार राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र इसकी स्थापना और कार्य को तीन माह के भीतर अधिसूचित किया जाएगा । आरएलडीसी और एनएलडीसी की संपूर्ण जिम्मेवारी होगी और अनुरक्षण प्राधिकरण पारेषण प्रणाली के स्वामित्व को ध्यान में रखे बगैर ग्रिड के सुगम प्रचालन होगा भले ही प्रणाली सीपीएसयू राज्य यूटिलिटी या निजी क्षेत्र के अंतर्गत हो।

5.3.10 पारेषण क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रणालियों का सृजन किया जाएगा ताकि 2012 तक मांग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त निवेश किया जा सके ।

5.4 वितरण

5.4.1 वितरण विद्युत व्यापार श्रृंखला का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है । विद्युत क्षेत्र में सुधार संबंधी वास्तविक चुनौती वितरण क्षेत्र के कुशल प्रबंधन में है ।

5.4.2 अधिनियम में उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के लिए वितरण लाइसेंसधारी हेतु एक मजबूत विनियामक कार्यढांचे का प्रावधान है । यह खुली पहुंच और समान आपूर्ति क्षेत्र में विविध लाइसेंसधारियों की अवधारणा के जरिए वितरण कारोबार के लिए प्रतिस्पर्धात्मक कार्यढांचा सृजित करता है ।

5.4.3 क्षमता लाभ प्राप्त करने के लिए वितरण यूटिलिटियों की उपयुक्त पुनर्संरचना किया जाना अनिवार्य है । इन यूटिलिटियों के लिए पर्याप्त अस्थायी वित्तपोषण सहायता आवश्यक होगी । इस प्रकार की सहायता को नकद हानियों में कमी और पूर्वनिधारित क्षमता सुधारों की प्राप्ति से जोड़ा जाना चाहिए और पारदर्शिता और जिम्मेवारी सुनिश्चित करने के साथ-साथ सेवा प्रदाताओं को अतिरिक्त बाधाओं से अलग करने के लिए उपयुक्त शासन व्यवस्था स्थापित करने से जोड़ा जाना चाहिए । वित्तीय व्यवहार्यता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को राज्य विद्युत

बोर्डों की देयताओं की पुनर्संरचना करना आवश्यक होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उत्तराधिकारी कंपनी पर विगत की देयताओं का भार न पड़े । केन्द्रीय सरकार विभिन्न स्रोतों से अस्थायी वित्तपोषण की व्यवस्था करने में भी पूर्ण परिवर्तन की स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने वाले राज्यों की सहायता करेगी तथा इसे वित्तीय व्यवहार्यता के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्व निर्धारित सुधार कार्यों और यथोचित शासन व्यवस्था बनाए जाने से जोड़ा जाएगा ।

5.4.4 वितरण में निजी उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए वितरण व्यापार में क्षमता पैरामीटरों के पूर्वनिर्धारित सुधारों के साथ पर्याप्त लाभ व उपयुक्त अस्थायी मॉडल के संबंध में अनुकूल व्यापारिक माहौल आवश्यक होगा । यूटिलिटियों एवं उपभोक्ताओं के लिए जोखिम को कम करने, क्षमता में सुधार व प्रणालीगत हानियों में तत्काल कमी की दृष्टि से बहु-वर्षीय टैरिफ (एमवाइटी) के माध्यम से निष्पादन आधारित विनियमन ढ़ांचा महत्वपूर्ण है । आर्थिक और उन्नत सेवा गुणवत्ता के माध्यम से इससे जनहित संभव होगा । विद्युत खरीद कीमतों व मुद्रास्फीति सूचकांको के ज्ञात संकेतकों तक टैरिफ समायोजन को प्रतिबंधित करके उपभोक्ता टैरिफ का अनुमान और अधिक आसान होगा । पारेषण एवं वितरण हानियों में अपेक्षित कमी प्राप्त करने तथा उपभोक्ताओं के लिए सेवा गुणवत्ता सुधारने के लिए वितरण में निजी क्षेत्र भागेदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा ।

5.4.5 विद्युत अधिनियम, 2003 प्रतिस्पर्धी विद्युत उत्पादक कंपनियों और क्षेत्रीय वितरण लाइसेंसधारियों के अतिरिक्त व्यापारिक लाइसेंसधारियों को उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की बिक्री करने में सक्षम बनाता है जबकि राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा वितरण में खुली पहुंच प्रदान कर दी जाए । जैसे कि अधिनियम में अपेक्षित है एसईआरसी जून, 2005 तक विनियमकों को अधिसूचित करेगा जिससे धारा 42 की उपधारा-2 के संबंध में वितरण नेटवर्को में खुली पहुंच मिल सकेगी । इस धारा में निर्धारित किया गया है कि जो उपभोक्ता किसी भी समय एक मेगावाट से अधिक विद्युत की अपेक्षा करते हैं उन्हें 5 वर्षों से पहले खुली पहुंच की अनुमति दी जाएगी । अधिनियम की धारा 49 में प्रावधान है कि जिन उपभोक्ताओं को धारा 42 के अंतर्गत खुली पहुंच प्रदान की गई है वे टैरिफ समेत इस प्रकार की शर्तों व निबंधनों, जैसा कि उनके बीच सहमति हो, पर किसी भी व्यक्ति के साथ समझौता निष्पन्न कर सकते हैं । वितरण में खुली पहुंच हेतु विनियम बनाते समय एसईआरसी व्हीलिंग प्रभार और क्रॉस सब्सिडी प्रभार जैसा कि अधिनियम की धारा 42 में अपेक्षित है का भी निर्धारण करेगा ।

5.4.6 राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसइआरसी) द्वारा ऊर्जा लेखा सुनिश्चित करके तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों की अलग-अलग पहचान करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए । प्रत्येक विनिर्दिष्ट यूनिट में ऊर्जा गणना और इसके परिणामों की घोषणा, राज्य वि. वि. आयोगों के अनुसार, मार्च, 2007 तक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए । शासन व्यवस्था और निवेश में उपयुक्त सुधारों के साथ हानियों में कमी करने का एक कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। इन हानियां को सन् 2012 तक अंतराष्ट्रीय मानकों तक नीचे लाया जा सके ।

5.4.7 वितरण में प्रतिस्पर्धा के संबंध में अधिनियम के मुख्य प्रावधानों में एक प्रावधान समान आपूर्ति क्षेत्र में अपने स्वतंत्र वितरण प्रणालियों के जरिए विविध लाइसेंसधारियों की अवधारणा के रूप में शामिल है । राज्य सरकारों को सरकारी यूटिलिटियों की पुनसंरचना करते समय वितरण जोन बनाने की पूर्ण नम्यता प्राप्त है । किसी मौजूदा वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र के अंतर्गत दूसरा और

उत्तरवर्ती वितरण लाइसेंस प्रदान करने के लिए छोटे शहरी क्षेत्र हेतु एक नगरपालिका परिषद्, एक राजस्व जिला और बड़े शहरी क्षेत्र हेतु एक नगरपालिका निगम को नयूनतम क्षेत्र मान लिया जाए जैसा कि भारत के संविधान (74वें संशोधन) के अनुच्छेद 243 (थ) में परिभाषित है । भारत सरकार अधिनियम की धारा 14 में परिकल्पित किए गए दूसरे और उत्तरवर्ती वितरण लाइसेंस हेतु आवेदक द्वारा अनुपालन की जाने वाली आवश्यकताओं 3 माह के भीतर अधिसूचित करेगी । सभी उपभोक्ता वर्गों को प्रतिस्पर्द्धा का लाभ प्रदान करने की दृष्टि से दूसरा तथा उत्तरवर्ती वितरण लाइसेंस धारक विद्युत अधिनियम 2003 के खण्ड 43 के प्रावधानों के अनुसार उसी क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं को आपूर्ति करने का जिम्मेवार होगा । अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वसूली किए जाने वाले कनैक्शन प्रभारों समेत टैरिफ का विनियमन एसईआरसी द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा । इसमें यह सुनिश्चित होगा कि दूसरा वितरण लाइसेंसधारक उपभोक्ताओं से गैर-युक्तिसंगत कनैक्शन प्रभार की मांग नहीं कर सकेगा ।

5.4.8 अधिनियम में निर्धारित अवधि के भीतर एक सही मीटर के जरिए विद्युत की आपूर्ति करने का शासनादेश है । प्राधिकरण द्वारा 3 माह के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 5.5 के अधीन अपेक्षित विनियम बनाए जाने चाहिए ।

5.4.9 अधिनियम के अंतर्गत दो वर्षों के भीतर सभी उपभोक्ताओं की मीटरिंग किया जाना अपेक्षित है । एसईआरसी वितरण लाइसेंसधारियों से उनका मीटरिंग प्लान प्राप्त कर सकता है, उसे अनुमोदन प्रदान कर सकता है और उसे अधिसूचित कर सकता है । एसईआरसी को पूर्वदत्त मीटरों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए । प्रथमतः न्यूनतम एक एमवीए भार वाले बड़े उपभोक्ताओं के लिए टीओडी मीटरों को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । एसईआरसी को स्वतंत्र तृतीय पार्टी मीटर परीक्षण व्यवस्था भी करनी चाहिए ।

5.4.10 लागत और लाभ को ध्यान में रखते हुए यूटिलिटियों द्वारा प्राथमिकता आधार पर आधुनिक सूचना प्राद्योगिकी प्रणालियां क्रियान्वित की जाए ताकि नेटवर्क सूचना तथा ग्राहक डाटा बेस तैयार किया जा सके जिससे भार प्रबंधन, गुणवत्ता सुधार, चोरी और हेराफेरी राकने, ग्राहक सूचना और सभी मीटरीकृत उपभोक्ताओं को सही-सही और शीघ्रतापूर्वक बिल जारी किए जा सकें और बसूली की जा सके । समयबद्ध तरीके से उपभोक्ता इंडेक्सिंग वे मैपिंग पर विशेष जोर प्रदान किया जाना चाहिए । त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों को सहायता पहले से ही प्रदान की जा रही है ।

5.4.11 पारेषण एवं वितरण (टी एण्ड डी) हानियों (तकनीकी एवं वाणिज्यिक) को कम करने चोरी रोकने, उन्नत वोल्टेज प्रोफाइल तथा बेहतर उपभोक्ता सेवा के लिए एलटी/एचटी अनुपात घटाने हेतु उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

5.4.12 वितरण प्रणालियों के कुशल कार्यकरण के लिए एससीएडीए और आंकड़ा प्रबंधन प्रणालियां अनिवार्य पूर्व आवश्यकताएं हैं । एसईआरसी द्वारा वितरण लाइसेंसधारियों से एससीएडीए और आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम प्राप्त किया जाना चाहिए तथा उनका अनुमोदन किया जाना चाहिए । चरणबद्ध तरीके से सब-स्टेशन ऑटोमेशन इक्विपमेंट के संस्थापन हेतु प्रयास किया जाना चाहिए ।

5.4.13 अधिनियम में बिजली चोरी के विरूद्ध कठोर उपायों का प्रावधान किया गया है । राज्यों और वितरण यूटिलिटियों को इन प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए । राज्य सरकारें विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सकते हैं, जैसी कि अधिनियम की धारा 153 में परिकल्पना की गई है ।

5.5 सेवा लागत व लक्षित सब्सिडी की वसूली

5.5.1 विद्युत क्षेत्र को कायम रखने के लिए उपभोक्ताओं से सेवा लागत की वसूली सुनिश्चित करने की अत्यंत जरूरत है ।

5.5.2 अत्यंत गरीब श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए विद्युत को वहनीय बनाने के लिए एक न्यूनतम सहायता स्तर की जरूरत है । सभी उपभोक्ताओं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और 30 यूनिट प्रतिमाह के विनिर्दिष्ट स्तर से कम उपभोग करते हैं को टैरिफ में विशेष सहायता प्रदान की जा सकती है जो कि क्रॉस सब्सिडी के रूप में होगी । उपभोक्ताओं के ऐसे विनिर्दिष्ट समूह हेतु टैरिफ आपूर्ति की औसत (समग्र) लागत का कम-से-कम 50% होगी । पांच वर्षों के बाद इस प्रावधान की पुनः समीक्षा की जाएगी ।

5.5.3 पिछले कई वर्षों से क्रॉस सब्सिडियां गैर-पोषकीय स्तरों तक बढ़ी है । क्रॉस सब्सिडियां प्रचालन में अदक्षताओं और हानियों को छुपाती है । उपभोक्ताओं को बिना कोई टैरिफ हानि पहुंचाए इस असंतुलन को ठीक करने की नितांत आवश्यकता है उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों के लिए वर्तमान क्रॉस सब्सिडियों को प्रगतिशील रूप से और धीरे-धीरे कम करने की आवश्यकता होगी ।

5.5.4 अधिनियम की धारा 65 की शर्त्तों के अनुसार राज्य सरकार को इस सीमा तक सब्सिडी देना चाहिए जिससे आवश्यक बजट प्राबधान किया जा सके ताकि यूटिलिटी को वित्तीय समस्या का सामना न करना पड़े, जो उसके प्रचालन को प्रभावित कर सकता है । इस प्रकार के प्रयास किए जाएं जिसमें अत्यंत पारदर्शी और दक्षतापूर्ण तरीके से लक्षित किए गए लाभार्थियों तक सब्सिडी की पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके ।

5.6 प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान तथा विकास (आर एण्ड डी)

5.6.1 कुशल और किफायती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के साथ विद्युत उत्पादन, पारेषण व वितरण के सभी उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी समुपयोजन का महत्व अधिक है । बृहत और संकीर्ण विद्युत प्रणालियों के प्रचालन एवं प्रबंधन के लिए सम्मिलित विविध एजेंसियों के मध्य समन्वय की आवश्यकता है । राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत प्रणाली का प्रभावी नियंत्रण केवल सूचना प्राद्योगिकी के उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है । आईटी के इस्तेमाल में वितरण संबंधी तकंनीकी एवं वाणिजयिक हानियां कम रहने तथा उपभोक्तओं के लिए उपयुक्त सेवाएं प्रदान करने की विशाल क्षमता विद्यमान है । एकीकृत संसाधन आयोजना और मांग पक्ष प्रबंधन के लिए नवीनतम विकसित प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना भी आवश्यक होगा ।

अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों के संबंध में अनुसंधान, विकास, निदर्शन एवं वाणिज्यिककरण हेतु विशेष प्रयास किए जायेंगे । इस प्रकार की प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों, विनिर्देशों तथा निष्पादन मानदंडों का अनुपालन करना होगा ।

5.6.2 विद्युत उत्पादन हेतु सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी और आईजीसीसी जैसी कुशल प्रौद्योगिकियों तथा बड़े आकार की यूनिटों को धीरे-धीरे इस्तेमाल में लाया जाएगा क्योंकि इनकी लागत किफायती है । साथ, ही, उड़न राख के उत्पादककारी उपयोग के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास और उनके प्रयोग को प्राथमिकता एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा ।

5.6.3 इसी प्रकार न्यूनतम संभावित हानियों के साथ लंबी दूरी तक उच्च वोल्टता की विद्युत पारेषित करने के लिए किफायती प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होगी । मिश्रित उत्पादन एवं पारेषण प्रचालनों के लिए सुविज्ञ नियंत्रण प्रणालियों समेत विद्युत उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने, दक्ष वितरण व्यापार और उपभोक्ता के अनुकूल परिस्थितियों के लिए विशेष सूचना प्रौद्योगिकी विकसित करने की आवश्यकता है ।

5.6.4 देश के विद्युत क्षेत्र में ठोस अनुसंधान एवं विकास आधार मौजूद है जिसे और आगे बढ़ाया जाएगा । अभिज्ञात प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आर एण्ड डी कार्यों में तेजी लाई जाएगी और मिशन की स्थापना की जाएगी । विद्युत क्षेत्र में आर एण्ड डी को प्रोत्साहित करने के लिए एक उपयुक्त वित्त पोषण तंत्र तैयार किया जाएगा । बडी विद्युत कंपनियों को अपने लाभ में से कुछ भाग आर एण्ड डी के लिए रखना चाहिए ।

5.7 उपभोक्ताओं के हितों के लिए लक्षित प्रतिस्पर्धा

5.7.1 बाजार के विकास को उन्नत करने के लिए नई उत्पादन क्षमताओं के एक हिस्से की दीर्घकालीन पीपीए से बाहर बिक्री की जाए । जैसे-जैसे विद्युत बाजार विकसित होंगे इससे लंबी अवधि की विद्युत खरीद करार फ्रेमवर्क के बाहर प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन लागत के साथ परियोजनाओं का वित्त पोषण संभव हो सकेगा । आगामी वर्षों में नए उत्पादन स्टेशनों की संस्थापित क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विद्युत बाजारों में प्रतिस्पर्द्धात्मक वातावरण बनाने में सहायक होगा । इससे

विद्युत बाजार की गहनता में वृद्धि होगी और उत्पादक और लाइसेंसी/उपभोक्ताओं दोनों के लिए और अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे और इससे दीर्घकाल में टैरिफ में कमी आएगी ।

इसके लिए नीति में निम्नांकित बातों को ध्यान रख जाए:-

(क) अन्तरराज्यीय व्यापार के लिए लाइसेंस जारी करना केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग का कार्य है इससे सारे देश में व्यापार का अधिकार प्राप्त हो जाता है । राज्य विद्युत विनियामक आयोग राज्य के अंदर वाणिज्य हेतु लाइसेंस जारी करेंगे ।

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा शुरू किए गए एबीटी व्यवस्था का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है । राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को राज्यीय स्तर पर एबीटी व्यवस्था शुरू करने का परामर्श दिया गया है । इससे अधिक्य वाले लाइसेंसों से कमी वाले लाइसेंसों तक इन्ट्रा-डे विद्युत स्थानांतरणों के लिए विश्वसनीय समाधान तंत्र भी सुगम बन पाया है ।

(ग) कैप्टिव विद्युत उत्पादक संयंत्रों को अनुमति प्रदान की जानी चाहिए कि वे लाइसेंसधारियों और उपभोक्ताओं को विद्युत की बिक्री कर सके जब उन्हें अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत एसईआरसी द्वारा खुली पहुंच की अनुमति प्राप्त हो जाए ।

(घ) उपयुक्त आयोग द्वारा विद्युत बाजार का विकास सभी संबंधितो के साथ परामर्श से किये जाने की आवश्यकता है ।

(ड.) केंद्रीय आयोग और राज्य आयोगों को क्रमशः अधिनियमों की धारा 178 और 181 के अंतर्गत अधिनियम बनाने का अधिकार प्राप्त है । इन विनियमों से प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन प्रदान करने और उपयोग संरक्षण से संबंधित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा । विनियामक आयोगों को विभिन्न विनियमों को शीघ्र ही अधिसूचित करने की सलाह प्रदान की जाती है।

(च) राज्य के भीतर और बाहर व्यापार संबंधी विनियम तथा विद्युत विनिमय के लिए भी विनियमों को 6 माह के भीतर उपयुक्त आयोगों द्वारा अधिसूचित किया जाएगा ।

5.8 निजी क्षेत्र भागीदारी सहित विद्युत क्षेत्र कार्यक्रमों को वित्त प्रदान करना

5.8.1 गृह विद्युतीकरण सहित 'सभी के लिए विद्युत' और त्वरित आर्थिक विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, यह अनुमान लगाया गया है कि उत्पादन, पारेषण, सब-पारेषण, वितरण और ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को वित्त प्रदान करने के लिए वर्ष 2002-03 के मूल्य स्तर पर 9,00,000 करोड़ रूपये के निवेश की आवश्यकता होगी । विद्युत बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के कारण केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों स्तरों पर सार्वजनिक क्षेत्र निवेशों को बढ़ाना होगा । क्षेत्र के अपेक्षित विस्तार के महत्व पर विचार करते हुए, निवेशों के एक निश्चित भाग को निजी क्षेत्र से लाने की आवश्यकता भी होगी । यह अधिनियम विभिन्न घटकों में प्रवेश अवरोधों को हटाकर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करता है । अधिनियम की धारा 63 विभिन्न घटकों में प्रतियोगी आधार पर आपूर्तिकर्त्ताओं की भागेदारी का प्रावधान करती है जिससे निजी क्षेत्र निवेश और अधिक बढ़ेगा । सार्वजनिक सेवा दायित्वों जैसे ग्रामीण घरों और छोटे एवं सीमांत कृषकों को विद्युत की पहुंच प्रदान किए जाने को सार्वजनिक वित्तपोषण के संबंध में प्राथमिकता मिलेगी ।

5.8.2 सार्वजनिक क्षेत्र को आंतरिक संसाधन विकसित करने में समर्थ होना चाहिए जिससे कम-से-कम एक समयबद्ध तरीके से अपनी निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केन्द्र और राज्यों में सरकार से उचित सकल बजटीय सहायता के पश्चात् भी निवेशों की इक्विटी आवश्यकता को पूरा किया जा सके । इसके लिए यह जरूरी होगा कि निवेशों पर रिटर्न के माध्यम से अधिक उत्पादन किया जाए और इसके साथ-साथ डेप्रीसिएशन रिजर्व सृजित किया जाए ताकि ऋण सेवा

दायित्व से निपटा जा सके । इससे परियोजना सिर्फ वित्तीय समापन में ही समर्थ नहीं होगी बल्कि विस्तार कार्यक्रमो के लिए भी उसकी बैंक संबंधी क्षमता में भी सुधार होगा साथ ही केन्द्र व राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों और निजी क्षेत्र परियोजनाएं भी इक्विटी वित्तपोषण व ऋण पुनःअदायगी संबंधी अपने दायित्वों को पूर्ति करने की स्थिति में आ सकेंगे ।

5.8.3 अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के अंर्तगत खुली पहुंच के अंतर्गत वैकल्पिक आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं पर संबंधित राज्य आयोगों द्वारा अधिभार वसूल किया जाना है । इससे इस प्रकार के उपभोक्ताओं को टैरिफ के कारण क्रास सब्सिडी घटक से होने वाली हानि के लिए धारा 42 (2) के अंतर्गत खुली पहुंच की अनुमति वाले ऐसे उपभोक्ताओं के लिए कार्य कर रहे वितरण लाईसेंसी को प्रतिपूर्ति प्रदान की जा सकेगी । खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं के मामले में आपूर्ति के प्रति अपनी देयताओं से उत्पन्न होने वाले वितरण लाईसेंसी की स्थायी लागत को पूरा करने के लिए धारा 42 की उपधारा (4) के अंतर्गत एक अतिरिक्त अधिभार भी वसूल किया जा सकता है । खुली पहुंच की अनुमति वाले उपभोक्ताओं से वसूल किया जाने वाला अधिभार और अतिरिक्त अधिभार इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि अधिनियम की धारा 42 (2) के अंतर्गत खुली पहुंच के प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत की आपूर्ति करने और विद्युत उत्पादन करने में प्रत्याशित की गई प्रतिस्पर्द्धा समाप्त हो जायेगी । इसके अतिरिक्त यह आवश्यक है कि अधिभार को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42 (2) में अनुमानित की गई क्रास सब्सिडी में कटौती के साथ ही चरणबार उत्तरोत्तर रूप में कम किया जाए ।

5.8.4 पूंजी की कमी है । निजी क्षेत्र में निवेश के लिए विविध विकल्प मौजूद हैं । अतः निवेश पर प्रतिफल उस ढंग से प्रदान किए जाने की आवश्यकता है जिससे क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में निवेश अवसरों के समकक्ष, यदि वरीयता में न हों तो, पर्याप्त निवेश आकर्षित करने में सक्षम हो सके । स्पष्टतः यह अवसरों और जोखिमों के मूल्यांकन और उन्हें स्पष्ट समझे जाने पर आधारित होगा । उपभोक्ताओं की अभिरूचि और निवेशों की आवश्यकता के बीच उपयुक्त संतुलन बनाना पड़ेगा ।

5.8.5 उद्योग के सभी खण्डों में संचालनों की दक्षता को सुधारने के लिए सभी प्रयास किए जाऐंगे । प्रोत्साहन और अप्रोत्साहन के साथ प्रचालनों के उचित कार्यक्षमता मानकों को उपभोक्ताओं के साथ तैयार करके दक्ष प्रचालनों के लाभ में हिस्सेदारी के लिए उचित व्यवस्था विकसित किए जाने के साथ तैयार करने की आवश्यकता होगी । इससे एक तरफ तो उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी वहीं दूसरी तरफ प्रचालनों की दक्षता को सुधार हेतु प्रेरणा प्राप्त होगी।

5.8.6 उन मामलों में उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धा के लाभ प्राप्त होंगे जहां प्रतिस्पर्धा प्रचालन मानकों और पैरामीटरों के आधार पर लागत के बजाय कीमत का निर्धारण करेंगे । उपभोक्ताओं के संपूर्ण हित में विद्युत उद्योग को शीघ्रातिशीघ्र इस स्थिति में लाने के लिए सभी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है । केंद्रीय सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया हेतु विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत, जैसा कि अधिनियम की धारा 63 में निर्धारित है, जारी कर दिए गए हैं।

5.8.7 इसके लिए यह आवश्यक है कि सभी उत्पादक कंपनियों, पारेषण लाइसेंसी तथा वितरण लाइसेंस धारकों को अपनी प्रचालनात्मक दायित्व निभाने के लिए उचित भुगतान प्राप्त हो ताकि वे विस्तार कार्यक्रमों के लिए नए सिरे से जरूरी निवेश कर सके । इसलिए क्षेत्र के विकास के लिए